भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 937

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना

937. श्री जी. सेल्वम :
श्री सी. एन. अन्नादुरई :
श्री नवसकनी के. :
श्री हरीभाई पटेल :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित देशभर में कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मिशन वात्सल्य योजना के उद्देश्य/मुख्य घटक क्या हैं तथा यह किस प्रकार बच्चों के संरक्षण, देखरेख और विकास सुनिश्चित करने की संकल्पना के अनुरूप हैं;

(ग) क्या मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण को प्राथमिकता देने हेतु कोई रणनीति/रूपरेखा तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त राज्य को उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी की गई वित्तीय सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त राज्य में योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की जिला-वार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) उपर्युक्त राज्य में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत सहायता प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों और विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों की संख्या और प्रकार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत

साझाकरण के आधार पर तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिनमें संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। इसमें बच्चों के लिए आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन आउटरीच सेवाओं की स्थापना करना और संस्थागत तथा गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

मिशन वात्सल्य योजना में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य और जिला स्तर पर सांविधिक और सेवा प्रदायगी संरचनाओं की स्थापना का प्रावधान है। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एससीपीएस) और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) तथा जिलों में बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ, आयु-अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श इत्यादि में मदद करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को प्रायोजन, उनकी पालन-पोषण संबंधी देखरेख और पश्चात देखरेख (आफ्टर केयर) के रूप में प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बाल विकास और बाल संरक्षण की प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का रोडमैप है। इसमें किशोर न्याय देखरेख और संरक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बाल अधिकारों, प्रचार-प्रसार और जागरूकता पर ज़ोर दिया जाता है।

(घ): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (17.07.2025 तक)**
51.03	128.70	122.82	0

(ङ): पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के तहत तमिलनाडु राज्य के सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या इस प्रकार है:

संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे			**गैर-संस्थागत देखरेख [प्रायोजन/पालन-पोषण संबंधी देखरेख/ पश्चात् देखरेख (आफ्टर केयर] के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चे**		
2022-23	**2023-24**	**2024-25**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
7785	10118	12438	2975	5411	8116

(31.03.2025 तक)

केन्द्रीय स्तर पर बच्चों की जिलावार संख्या का ब्योरा नहीं रखा जाता है।

(च): तमिलनाडु राज्य में मिशन वात्सल्य के तहत सहायता प्राप्त बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) और विशिष्ट दत्तक-ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की संख्या और प्रकार निम्नलिखित हैं:

बाल गृह	**खुला आश्रय**	**विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी**	**पर्यवेक्षण गृह**	**विशेष गृह**	**पर्यवेक्षण गृह-सह-विशेष गृह**	**सुरक्षा स्थल**
266	11	19	11	4	0	2

(31.03.2025 तक)

*****